[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 10 /2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में,-

(क) नियम 5 में,-

(i) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) अन्वेषण की अवधि,-

(i) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख से छह मास से अन्यून नहीं होगी ।
(ii) सामान्यतः बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहित प्राधिकारी न्यूनतम छह मास या अधिकतम अठ्ठारह मास पर विचार कर सकेगा ।";

(ii) उपनियम (4) में, "सीमा शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 22 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ग) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 23 में,-

(i) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु नियम 17 में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रति पाटित शुल्क की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व में पूरा किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) उपनियम (2) के अधीन नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।";

(घ) नियम 26 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी";

(ङ) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा ।"।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 02/1995-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 73(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।